न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र चौधरी आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र 82/2020

प्रार्थी–

1. सोहनसिंह उर्फ गंगासिंह पुत्र बदरीसिंह
2. कानसिंह पुत्र बदरीसिंह
   जाति–राजपूत, निवासी–खेराट तहसील–जायल जिला–नागौर (राज.)

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित –

1. अभिभाषक श्री एस.एस.कालवी प्रार्थी की ओर से ।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :– 12/07/2021

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का वास्तविक नाम सोहनसिह पुत्र बदरीसिंह व कानसिंह पुत्र बदरीसिंह जाति राजपूत निवासीगण खेराट है। इनके खातेदार की भूमि ग्राम सेडाउ में खसरा नं. 56/79 रकबा 1.7806 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 59 रकबा 0.8984 हैक्टेयर के रूप में दर्ज है। इस खतौनी में प्रार्थी का नाम गंगासिंह पुत्र बादुरसिंह दर्ज हो गया है, जबकि अन्य समस्त दस्तावेजात यथा– बैंक खाता, राशन कार्ड आधार कार्ड, परिचय पत्र में प्रार्थी का नाम सोहनसिंह पुत्र बादूरसिंह ही दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थी को पिता का नाम पूर्व में बदरीसिंह था लेकिन जमाबदी चौसाला बदलते समय संभवतया यह गलती हुई है तथा वर्तमान जमाबंदी में उनका नाम बादुरसिंह दर्ज हो, जबकि प्रार्थीगण पिता का सही नाम बदरीसिंह है। ग्राम खेराट में सोहनसिंह उर्फ गंगासिंह पुत्र बदरीसिंह तथा कानसिंह पुत्र बदरीसिंह नाम के अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। यह त्रुटी पटवारी हल्का संभवतया प्रार्थीगण के पिता के फौतगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय की है क्योंकि गांव में साधारण बोलचाल में प्रार्थी को गंगासिंह के नामस जाना जाता है। इतने दिन तक कोई समस्या इन नामों से प्रार्थीगण को नहीं हो रही थी, परन्तु अब किसान क्रेडिट कार्ड तथा बैंक खाता तथा अन्य सरकारी काम ऑनलाईन होने से कम्प्यूटर में नाम गंगासिंह व सोहनसिंह तथा प्रार्थी के पिता का नाम बादुरसिंह के स्थान पर बदरीसिंह के नाम में एकरूपता नहीं होने से परेशानी आ रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी संख्या 1 सोहनसिंह उर्फ गंगासिंह पुत्र बदरीसिंह व प्रार्थी संख्या 2 कानसिंह पुत्र बादुरसिंह के

12/07/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

वास्तविक नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश जारी करे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब देही तलब किया गया। जवाब देही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं.1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक भू.अ./2020/221 दिनांक 12.01.2021 मय हल्का पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि गंगासिंह पुत्र बादुरसिंह का सही नाम सोहनसिंह पुत्र बदरीसिंह है तथा दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है, तथा इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति ग्राम खेराट में नहीं है, इसलिए प्रार्थी का नाम गंगासिंह पुत्र बादूरसिंह के स्थान पर सोहनसिंह पुत्र बदरीसिंह दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहते प्रार्थी श्री कानसिंह पुत्र बदरीसिंह ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रकरण में पक्षकार संयोजित होने बाबत् पेश किया तथा निवेदन किया कि प्रकरण में विवादित खसरान की भूमि में प्रार्थी कानसिंह भी प्रार्थी गंगासिंह उर्फ सोहनसिंह के साथ सहखातेदार दर्ज है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रार्थी का नाम कानसिंह पुत्र बादुरसिंह का अंकन है, परन्तु प्रार्थी का सही नाम कानसिंह पुत्र बदरीसिंह है इसलिए प्रार्थी सोहनसिंह के नाम के साथ–साथ मुझ प्रार्थी के नाम (कानसिंह) का नाम भी दुरूस्त किया जावे। प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर किसी प्रकार आपत्ति जाहिर नहीं करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी कानसिंह को प्रकरण मे पक्षकार अप्रार्थी संख्या 2 के रूप में संयोजित किया गया।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की ताईद में वर्तमान (2073–2076) खसरान 56/79, 59 की जमाबंदी की नकल जिसमें प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 सहखातेदार है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का नाम गंगासिंह पुत्र बादुरसिंह तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम कानसिंह पुत्र बादुरसिंह दर्ज है पेश की, साथ ही नकल जमाबंदी में सम्वत् 2070–2073 की जमाबंदी पेश की जिसमें में प्रार्थीगण के पिता का नाम बदरीसिंह दर्ज है। इसी प्रकार प्रार्थीगण में प्रार्थी संख्या 1 का वास्तविक नाम गंगासिंह के स्थान पर सोहनसिंह पुत्र बदरीसिंह होने के साक्ष्य स्वरूप आधार कार्ड – 9954 2428 2187 की फोटोप्रति, भामाशाह कार्ड की प्रति, रा.म.ग्रा.बैंक शाखा डेह की पास की फोटोकॉपी, राशनकार्ड संख्या 008266800046 तथा राशन कार्ड संख्या 16/4, ग्राम पचांयत खेराट का प्रमाण पत्र दिनांक 23.08.2020 पेश की। वकील प्रार्थी के द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थीगण बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूंनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा प्रार्थीगण का नाम ग्राम सेडाउ के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 8 में अंकित खातेदार के नाम यथा प्रार्थी संख्या 1 का नाम गंगासिंह पुत्र बादुरसिंह के स्थान पर सोहनसिंह पुत्र बदरीसिंह तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम कानसिंह पुत्र बादुरसिंह के स्थान पर कानसिंह पुत्र बदरीसिंह शुद्ध किया जाकर राजस्व

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज ग्राम सेडाऊ तहसील–जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 8 सम्वत् 2073–76 तथा नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि है तथा फौतगी नामान्तकरण के जरिये प्रार्थीगण का नाम जमाबंदी में आम बोलचाल की भाषा के तहत प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु होने पर दोराने फौतगी नामान्तकरण राजस्व रिकॉर्ड में भरते समय दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 8 में दर्ज खसरान् 56/79, 59 में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : **आदेश** : : –

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम–सेडाउ तहसील–जायल जिला–नागौर के खाता संख्या 8 खसरा नं. 56/79, 59 में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम गंगासिंह पुत्र बादुरसिंह के स्थान पर सोहनसिंह पुत्र बदरीसिंह तथा कानसिंह पुत्र बादुरसिंह के स्थान पर कानसिंह पुत्र बदरीसिंह जाति राजपूत साकिन–खेराट तहसील जायल दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

यह आदेश आज दिनांक 12/02/2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

12/02/2021

सहायक कलक्टर (रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner